INNOVARE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

INNOVARE ACADEMIC SCIENCES
Knowledge to Innovation

Vol 4, Issue 3 , 2016 ISSN:2347-5544

Research Article

WOMEN'S SUPPORT IN MAHARASHTRA'S POLITICAL DECISION PROCESS.

PRABHAKAR JADHAV

Lbs College Dharmabad Nanded, Maharashtra

Received:1 June 2016, Revised and Accepted:18 June 2016

ABSTRACT

OBJECTIVES

राजनिती [politics] समाज के प्रबंधन के साथ साथ नितीनिर्माण एंव नियंत्रण का सर्वोच्च स्तर है। राजनिती में पुरुशों के साथ – साथ महिलाओं की सहभागिता होणी चाहिए। लेकिन वास्तव परिस्थिती भिन्न है। जागतिकीकरण के इस युग में महिला स क्तिकरण की जागरुकता एवं उसकी क्षमता की पहचान सबसे पहले राजनीतिक सक्रियता [political activism] के माध्यम से अधिक होती है । जैसे सामाजिक ,राजनीतिक, आर्थिक, भौक्षणिक प्र ासकीय, मनोरंजन ,साहित्य आदि विभिन्न क्षेत्रो कें प्रक्रीयाओं एंव उसके नितीनिर्माण का अग्रणी सहभाग के परिणाम से ही महिलाओं की राजनीति के साथ सबलीकरण की प्रक्रीया प्रारंभ होती। इसी को मद्देनजर रखते हुए महाराश्ट् की राजनिती में 2016 साल की स्थिती में महीलाओं की सहभागिता जैसे लोकसभा ,राज्यसभा, विधानसभा, जिला परिशद, पंचायत समिती , ग्रामपंचायते ,नगरपालिका एंव महानगरपालिका में महिला प्रतिनिधित्व के सहभागिता से राजनीतिक सबलीकरण का प्रमाण कैसा है ? इसका वि लेशण प्रस्तुत भाोध प्रपत्र के अध्ययन से करणे का प्रयास किया है ?

METHODS

राजनिती में स्त्री अध्ययन का विशय दुर्लक्षित रह चुका है । उसी तरह 20 वी भाताब्दी तक अध्येता , विद्वान , समाजसेवी , राजनीतिक , कार्यकर्ताओं ने तत्कालिन समाज का अध्ययन किया हैं। स्त्री मुक्ति आंदोलन, स्त्री ि ाक्षा ,स्त्री सक्रियता अदि विशय को अध्ययन का केंद्रबिंदु मानकर महिलाओं को समाज के सभी क्षेत्रों में स ाक्त बनाने के प्रयास का प्रारंभ हुआ। अतएव यह प्रयास एवं महाराश्ट् की राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व के बारे मे निर्वाचण आयोग ने बारबार प्रका ित किये रिपोर्ट एंव अन्य प्रका ित संदर्भ का आधार लेकर अध्ययनपध्दती का अवलंब प्रस्तुत भाोधप्रपत्र में करने का प्रयास किया गया है।

RESULTS

प्राथमिक स्त्रोत के आधर पर किये गये अध्ययन से राजनीतिक नितीनिर्माण मे महिलाओ के अग्रणी सहभाग का परिणाम कैसा है। प्रस्तुत भाोधप्रप्त्र के अध्ययन से अनुमान तक जाणे का प्रयास किया गया हैं।

CONCLUSION

प्रस्तुत भाोध प्रपत्र के अध्ययन से ऐसा निकर्श निकलता नि चतरूप से गांव से संसद तक के प्रतिनिधित्व मे महिलाओंको आरक्षण के माध्यम से राजनितिक नितिनिर्माण मे स ाक्त किया जा सकता हैं।

Keyword:महिलाओं का राजनीतिक सहभाग एवं महिला स ाक्तिकरण महाराश्ट् की राजनीति संदर्भ में

INTRODUCTION

वि व की ओर देखा जाए तो एक बात ध्यान में आती है की सभी समाजव्यवस्था में ज्यादात्तर पुरुश प्रधान संस्कृती का बोलाबाला रह चुका है । मनुस्मृती जैसे महान ग्रंथ में 'यत्रनार्यस्तु पुज्यंते तत्र रमंते देवता ' तो दुसरी ओर 'स्त्री स्वातंत्रय मर्हती' ऐसी विसंगत वकालत कर के स्त्री स्वातंत्रय का असमर्थन किया गया। स्त्रीयों के बारे में समाज की धारणा है की , स्त्री विवेकहीन , भाारीरिक दुर्बल एवं कोमल होने से सार्वजनिक जवन में उसका अस्तित्व नगण्य है। स्त्री का अस्तित्व चुल एवं मूल इतना ही सीमित है। ऐसी सार्वत्रिक धारणा होने से अधिकार , स्वातंत्रय, सामाजिक , प्रतिश्ठा एवं नितिनिर्माण से दुर रहनेवाली एक प्रजनन यंत्र है। इसके अस्तित्व पहचान निर्माण करणे के लिए 20वी सदी के पुर्वार्ध्द में जनजागृती को प्रारंभ हुआ।

समाज में महिलाओं के साथ साथ समाज सेवक , साहित्यिक , राजनैतिक, प्र ासक,सेंवाभावी संस्था अदियों के माध्यम से स्त्री स्वातंत्रय , स्त्री मुक्ति का अहसास बढने लगा। पा चात्य दे ों के साथ साथ भारत एवं महाराश्ट् में महिलाओं की जनजागृती को अधिक बढावा मिलने से स्त्री मुक्ति आंदोलन अधिक प्रखर होणे लगा । इसी आंदोलन को बढावा देने के लिए पा चात्य स्त्रीवादी लेखिका सिमॉन दी बुआ लिखित ' fn lःdUM lDl xःFk ' के माध्यम सें महिलाओं पर होने वाले अन्याय , अत्याचार , दुःख वेदना समाज के सामने रखने का प्रयास किया गया। सिमॉन दि बुआ के ग्रंथ से वि व के सभी स्त्री मुक्ति आंदोलन एवं आंदोलक को अधिक प्रेरणा मिली। इसके अलावा वुस्टनक्राफट लिखित *' व्हिंडिके न ऑल दि राईट्स ऑफ दि वुमन' ,* वेडी फिउन लिखित *Qfeukbu fefLVd'* , जर्मन ग्रिअर लिखित *fn fQeu ;ud'*, केट मिलेट लिखित 'lDlvy ikfyfVDl' अदि स्त्री वादी लेखिकाओंने साहित्य के माध्यम से स्त्री मुक्ति चेतना का प्रसार एवं प्रचार पुरे वि व में किया । इसके परिणाम स्वरुप इस आंदोलन को अधिक प्रेरणा मिलने लगी।

पा चात्य दे ों में भी महिलाओं की ओर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी नहीं रही । ब्रिटन एवं अमेरिका जैसे प्रगत दे ों में भी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने के लिए लगभग सौ साल से भी ज्यादा समय झगडना पडा। अमेरिका जैसे भाक्ति ाली दे ों में पिछले 240 सालो से एक भी महिला को राश्टाध्यक्ष पद के लिए चुना नही गया। इससे यह स्पश्ट होता है की विकसीत दे ों में भी महिलाओं की राजनीतिक स्थिति का अंदाजा ध्यान में आ सकता। अमेरिका के अलावा जर्मनी , र ि ाया , फ्रान्स , चीन , आदि दे ों में भी महिलाओं का राजनीति में सहभाग अत्यल्प रह चुका है । नेपाल , पाकिस्तान , बांग्लादे ा , फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया , फिलिपिन्स, स्वीत्झर्लंड , ब्रिटन , जर्मनी , स्वीडन , स्पेन,रवांडा, अदि दे ों की राजनीति एवं कार्यपालिका में सहभाग बढाने के लिए नि चत रुप में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है । भारत में भी महिलाओं को आरक्षण देणे का प्रयास बार बार असफल हो रहा है । भारतीय राजनिती के माध्यम से संसद एंव राज्य विधानमंडलो में महिलाओं की सहभागिता बढाने के लिए 33 % आरक्षण की मांग हो रही है ।

भारत में भी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सतीप्रथा , बालविवाह, विधवाविवाह , स्त्री स्वातंय , स्त्री ि ाक्षा आदि विशयों को मद्देनजर रखते हुए राजाराम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद , स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा महाराश्ट् में महात्मा फुले , सावित्रीबाई , दादोबा पांडुरंग , विश्णु ाास्त्री पंडीत, भांडारकर, म.गो.रानडे, आगरकर, पंडिता रमाबाई , महर्शि कर्वे , वि.रा.ि ांदे , ताराबाई ि ांदे आदि समाज सुधारकोने आवाज उठाये। ताराबाई ि ांदे जैसी विद्रोही लेखिकाने स्त्री पुरुश तुलना नामक ग्रंथ लिखकर महिलाओं पर होनेवाले अन्याय अत्याचारों का जाहीरनामा प्रसिध्द कर के दुनिया के सामने महिलाओं का वास्तव दिखा दिया । इन सभी समाजसुधारकोने महिलाओं को समाज में न्याय दिलाने के लिए स्त्री मुक्ति आंदोलन का संगठन उभरकर अवाज उठाया। इस माध्यम से महिलाओं को एक साथ लढने के लिए वैचाारिक और संगठनात्मक बल बढने लगा।

ऐसे आंदोलन से प्रेरणा लेकर भारत में सरलादेवी जैसे महिलाएँ सामने आकर समाज में 'भारत स्त्री मंडल' , मेहरीबाई टाटा ने 'अखिल भारतीय महिला संघठन' एवं NCWI का संगठन , श्रीमती देरोथी जिनराजदास WIA (वुमन इंडियन असोसिएट) , पंडिता रमाबाई ने 1892 में पुणे में 'भाारदा सदन' महिला संगठण

निर्माण कर महिलाओं का अवाज बुलंद किया। ऐसे विभिन्न संगठणो द्धारा सभी क्षेत्रों में स्त्री मुक्ति आंदोलन के विस्तार को बढावा मिला। और महाराश्ट् सह पुरे भारत में महिलाओं का आवाज बुलंद करने का प्रयास किया गया। गांधीजी के नेतृत्व मे चले राश्ट्रीय स्वाधिनता आंदोलन में महिलाओंकी बडी सक्रिय सहभागिता रह चूकी है । नमक सत्याग्रह में ब्रिटी ा सरकारने 30 हजार भारतीय नागरिकों को बंदी बनाया । एसमें करीब करीब 17 हजार महिलाओं को समावे ा था । इसे यह ज्ञात होता है की भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं का योगदान कितना महत्तवपुर्ण रह चुका है ।

Lokr=kRrj Hkkjr e efgykvk dh lgHkkfxrk

साधारण बात ऐसी है की महिला मुक्ति आंदोलन का प्रयास बीसवे भातक के बाद सुधारणावाद से परिवर्तन की ओर रह चुका है। महिलाओं पर होनेवाले अन्याय एवं अत्याचार का निर्मूलन होकर स्त्री पुरुश समानता लाने के लिए महिला सबलीकरण के लिए अधिकारोंका लोकतांत्रिक न्याय वितरण , स्त्रीयों की संपूर्ण सुरक्षितता एवं संरक्षण , मानसन्मान, प्रतिश्ठा , स्त्री स्वातंत्रय, स्त्री ि ाक्षण और स्त्री मुक्ति प्रबोधन के लिए महिला संगठनोने उदारवाद , समतावाद एवं साम्यवाद जैसी विचारधाराओं का सहारा लेकर भारत में महिलाओं ने एवं समाज सुधारको ने स्वातंत्रयोत्तर काल में भी महिला मुक्ति आंदोलन को अधिक उग्र व सतर्क करणे का प्रयास किया।

भारत में राजनीतिक दलों के माध्यम से महिलाओं ने राजनीति में सक्रिय होकर महिला आंदोलन का नेतृत्व किया जैसे पंडिता रमाबाई जैसी महिलाने पॉच महिलाओं को लेकर संविधान सभा में प्रवे ा कर यह दिखा दिया कि महिला भी कुछ कम नही। अनुसया काळे, तारके वरी सिन्हा, कमलादेवी चटोपाध्याय, लक्ष्मी मेनन आदि महिलाओं ने स्वाधीनतापूर्व अनुभव साथ में लेकर भारतीय स्वाधीनता के बाद भी महिला मुक्ति आंदोलन का प्रयास चालु रखा ।

जनसंख्या में पुरुशों के साथ बराबर रहनेवाली महिलाओं की स्थिति राजनितिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अत्यल्प रह चुकी है । इंदिरा गांधी , सरोजनी नायडू, सूचेता कृपलानी, ताराबाई साठे, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, विद्यमान राश्ट्पती प्रतिभा पाटील , मायावती, जयललिता, वसुंधरा राजे सिंधीया, ममता बॅनर्जी , भीोला दिक्षित , सुशमा स्वराज आदि महिलाऍं भारतीय राजनीति मे सक्रिय है। यह सक्रियता अत्यल्प है। भारतीय संविधान ने 26 जनवरी 1950 में सभी को प्रौढ मताधिकार प्रदान कर पुरुशों के साथ – साथ महिलाओं को राजनीति में समान अवसर दिए गए। फिर भी पंचायत राज व्यवस्थाओं में 33% मिलने तक महिलाओं की राजनीति मे सक्रियता की प्रक्रिया अत्यंत कमजोर रह चुकी है।

उपरोक्त अध्ययन से ऐसा दिखाई देता है की कुल जनसंख्या में महिलाओं की आबादी पचास प्रति ात है । समाज का एक महत्वपूर्ण अंग महिला होकर भी राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया से दूर है । तभी इस विशय पर सोचकर पिछले पांच द ाक में भारतीय संसद, महाराश्ट् विधानसभा ,एवं महाराश्ट् के स्थानिक स्वराज्य संस्था में महिलाओंकी सहभागिता एवं उनकी सक्रियता की स्थिति किस तरह रह चुकी है। इसका वि लेशण प्रस्तुत भोध प्रपत्र के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है।

ykdlHkk ,o jkT;lHkk e efgyk ifrfuf/kRo %&

भारत एवं महाराश्ट् में महिलाओं ने संगठित होकर स्त्री मुक्ति आंदोलन के माध्यम से राजनीति के साथ – साथ सामाजिक , आर्थिक, अदि क्षेत्रों में महिलाओं में चेतना एवं जागृती निर्माण करणे से सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सहभाग का प्रमाण बढने लगा । तब से समाज के अन्य क्षेत्रों में महिला स ाक्तीकरण (Woman Empowerment) एवं राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं का सहभाग (participation on political decision making process)जैसे संकल्पना विकसित हुए।इसके अलावा महिलाओं को मताधिकार प्राप्त होणे से संसद में उनके प्रतिनिधित्व का प्रमाण किस तरह रह चुका है। इसका अनुमान सारणी क्र.1मे दिया गया है।

Lkkj.kh d 1

Lkln e efgyk ifrfuf/kRo dk vuqikr

लोकसभा क्र	चुनाव वर्श	लोकसभा			राज्यसभा		
		कुल संख्या	महिला प्रतिनिधी संख्या	प्रति ात	कुल संख्या	महिला प्रतिनिधी संख्या	प्रति ात
पहिली	1952	499	22	4.4	219	16	7.3
दुसरी	1957	500	17	5.4	237	18	7.5
तिसरी	1962	303	34	6.8	238	18	7.5
चौंथी	1967	523	31	59	240	20	8.3
पॉचवी	1971	521	22	4.2	243	17	7.0
छठी	1977	544	19	3.4	244	25	10.2
सॉतवी	1980	544	28	5.9	244	24	9.8
आठवी	1984	517	44	8.1	245	28	11.4
नौवी	1989	545	27	5.3	245	24	9.7
दसवी	1991	545	39	7.2	245	38	15.5
ग्यारहवी	1996	545	39	7.2	245	20	9.0
बारहवी	1998	545	43	7.9	245	15	6.1
तेरहवी	1999	545	49	9.0	245	19	7.8
चौदहवी	2004	545	45	8.2	245	28	11.8
पंद्रहवी	2009	545	59	10.8	245	21	8.57
सोलहवी	2014	545	62	12.00	244	29	11.50

Source – 1-2010 stastistics on woman in India, published on National Institute of Public co-operation And child Development , New Delhi, page 352.&2- loksabha , Rajyasabha webpage.

उपरोक्त परिदृ य से ऐसा ध्यान में आता है कि 1952 से 2014 तक लगभग सोलाह लोकसभा के सार्वत्रिक चुनाव हो चुके है। प्रथम लोकसभा चुनाव से आजतक का विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि निर्वाचण प्रक्रीया में 50 % महिला मतदाता होते हुए भी संसद के दोनो सभागृह में उनका प्रतिनिधित्व जैसे लोकसभा में 10 प्रति ात से अधिक प्रतिनिधीत्व कभी नही रहा. 2014 के चुणाव मे महीला प्रतिनीधित्व 12.00 प्रति ात तक पहूंच गया. तो दूसरे सभागृह राज्यसभा में भी 1991 साल का 15.5 प्रति ात प्रमाण छोडकर आज तक कभी भी 11 % से अधिक प्रतिनिधित्व नही मिला ऐसी स्थिती महिलाओंकी संसद मे रह चुकी है। दोनो सभागृह में महिलाओं की सहभागिता प्रमाण तुलनात्मक रुप से देखा गया तो ऐसा लगता है कि राज्यसभा में लोकसभा से अधिक महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रमाण दिखाई देता है।

संसद के दोनो सदनो में महिलाऐं सहभागिता एवं निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व देखा गया तो पुरुशों के प चात महिलाओंका अनुपात अत्यल्प है। इसलिए महिलाओं कि सहभागिता बढाने के लिए संसद एवं राज्यो के विधिमंडल में नि चत रुप से महिला आरक्षण लाना जरुरी है। पिछले पच्चीस साल से महिला आरक्षण विधेयक पारीत नही हो रहा है यह दुर्भाग्य की बात है। महिला आरक्षण के लिए आम आदमी का कोई विरोध नही है ; विरोध है पुरुशों का महिला आरक्षण के संदर्भ में 'सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीज' , इंडीया टुडे , एवं 'वुमेन पालिटिकल वॉच द्वारा जनमत चाचणी ले गयी उसमे 80 प्रति ात लोगो ने आरक्षण के लिए समर्थन बताया ।

दुर्भाग्य इस बात का है कि राश्ट् में कुल आबादी में करीब 50 प्रति ात महिला होते हुए भी राजनीति में उनका प्रमाण नगण्य है। लोकसभा सदन में महाराश्ट् में से अनुसया काळे, प्रेमलाताई चव्हाण, प्रमिला दंडवते , रोझा दे ापांडे , सरोज खापर्डे ,मृणाल गोरे , के ारकाकू क्षिरसागर, जयंती मेहता , तारा सर्प्रे, पुश्पा देवी, प्रभाराव, कल्पना नरहिरे , सुर्यकांता पाटील , रुपाताइ पाटील , निवेदिता माने आदि महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया! सोलाह लोकसभा (2014) चुनाव में सदन में महाराश्ट् से प्रितम मुडें, सुप्रिया सुळे , भावना गवली, हीना गावीत ,रक्षा खडसे , पूनम महाजन , यह छह सांसद प्रतिनिधित्व कर रहे है । तो राज्यसभा में रजनीताई पाटील , विद्याताई चव्हाण यह दो महिला सांसद प्रतिनिधित्व कर रहे है । कुल मिलाकर महाराश्ट् से 48 सांसद चुने जाते है इसमे 3 से 4 महिला पिछले 1999 2004,2009 तीन चुनाव में चुनै गये थे! लेकीन 2014 के चुणाव में यह प्रमाण छह महीला सांसद तक पहूंच गया इस हालात से समझ में आता है की लोकसभा में महाराश्ट् कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस तरह रह चुका है।

lkj.kh d 2

Hkkjr ljdkj d e=heMy e efgyk ifrfuf/kRo 2014

अ.क.	मंत्रीपरिशद का प्रारुप	मंत्रीपरिशद की संख्या						प्रति ात	
		महिला संख्या		पुरुश संख्या		कुल संख्या		2009	2014
		2009	2014	2009	2014	2009	2014		
1	कॅबिनेट मंत्री	3	6	30	21	33	27	9.09	21.09
2	राज्यमंत्री	5	1	40	37	35	38	11.08	02.50
	कुल	8	7	70	58	68	65	20.17	23.59

Source 1- statistics of women in India , national institute of public co operation and child development Delhi page no. 343&2- The times off india may 2014

उपरोक्त सारणी में केंद्र की मंत्रीपरिशद कि निर्मिती वर्शे 2009 एवं 2014 का प्रारुप द प्रया गया है। इसी प्रारुप के अनुसार ऐसा दिखाई देता है की महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुशों के प्रतिनिधित्व के कितना अनुपात है। 2009 साल के मंत्रीपरिशद में महिलाए मंत्रीयों कि संख्या 8 (कॅबिनेट मंत्री 3 और राज्यमंत्री 5) इतनी थी कुल मंत्रीपरिशद संख्या में 09.09 प्रति ात दिखाई देती है। तो 2014 के मंत्रीपरिशद में महिला मंत्रीयों की संख्या 7 (कॅबिनेट मंत्री 06 और राज्यमंत्री 01) इतनी है । जो कि कुल मंत्रीपरिशद के 21.09 प्रति ात दिखाई देती है। इससे ऐसा दिखाई देता की , कुल मतदाताओंसे पच्यास प्रति ात महिला होते हुये भी राजनितिक निर्णय प्रकीया में उनकी सहभागीता का प्रमाण अत्यल्प दिखाई देता है। संसद के दो सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या कुल 2015 नुसार 91 इतनी है, इसमेसे 7 महीलाओं को मंत्रीमंडल में प्रतिनीधित्व मिला है।

egkjk’V dh jktuhfr e efgykvk dh lgHkkfxrk

महाराश्ट् की महिलाओं की स्थिति जाणने से पहले हम वि व और भारत के लोकसभा एवं राज्यसभा सदन में महिला सहभागिता का प्रमाण किस तरह रहा है इसपर दृश्टिक्षेप डाल चुके है । भारत में महाराश्ट् की पहचान एक सामाजिक आंदोलन में अग्रेसर रहनेवाला राज्य नामसे की जाती है। भारत में सबसे अधिक महिलाओं में चेतना एवं जनजागृति करणे का काम महाराश्ट मे ही हो चुका है। भारत स्वाधीनता की 69 साल एवं महाराश्ट् राज्य निर्मितीके 55 साल बाद राजनीति में महिलाओं की सहभागिता में देखा जाए तो संसद में महाराश्ट् की ओर स 6 से 8 महिला सांसद प्रतिनिधित्व करते है। अतएव संसद में महाराश्ट् के 6–8 महिला सांसद प्रतिनिधित्व देखते हुए महाराश्ट् के विधानमंडल में महिला के प्रतिनिधित्व स्थिती कैसी है ? इसका भाोध निम्नतर सारणी के माध्यम से लेने का प्रयास किया गया है :

lkj.kh d 3

egkjk’V fo/kkulHkk e efgyk lgHkkfxrk dk vuikr 1937 l 2014 rd

अ.क.	चुनाव वर्श	कुल सदस्य	चुनाव लढने वाले कुल उम्मिदवार	चुनाव लढने वाले महिलाओं की संख्या	चुनाव जितने वाले महिला प्रतिनिधी कि संख्या	प्रति ात
1	1937	175			7	4.00
2	1946	175			9	5.14
3	1952	216			15	4.7
4	1957	233			30	12.8
5	1962	264	1161	36	13	5.4
6	1967	270	1242	19	9	3.3
7	1972	270	1197	56	00	00
8	1978	288	1817	51	8	3.5
9	1980	288	1537	47	19	6.9
10	1985	288	2330	83	16	5.5
11	1990	288	3772	144	6	2.7
12	1995	288	4714	247	11	4.1
13	1999	288	2006	86	12	4.4
14	2004	288	2678	157	12	4.4
15	2009	288	3559	211	10	3.8
16	2014	288	4119	276	20	7.2

Source i) election 1937 to 1956 maharashtra woman commission report.&ii) stastical report on General election 1962 to 2014 Legestative Assembly of maharashtra , election commission in India.

उपरोक्त सारणी क 3 से ध्यान में आता है कि 1937 से 2014 के चुनाव तक महिलाओं का राजनिति में क्या अनुपात रहा है। 1960 के पहले महाराश्ट् राज्य की पहचान मुंबई प्रांत एवं द्विभाशिक राज्य नाम से थी। जो की 1960 के बाद महाराश्ट् नाम से हो गई। 1937 के चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात चार प्रति ात रहा । 1957 तक उसमें कुछ बढोतरी नही हुई लेकीन 1957 के चुनाव में अनुपात 13 प्रति ात तक बढ गया। लेकिन स्वतंत्र महाराश्ट् निर्माण के बाद से आजतक कभी भी महिलाओं का सात प्रति ात से अधिक नही हुआ ।1995 के चुनाव में कुल मिलाकर 247 महिला उम्मिदवार चुनाव लढे थे उसमें सिर्फ 11 चुने गए उनका अनुपात 0.5 प्रति ात इतना रह चुका है। 2014 के विधानसभा चुणाव में 276 महिला उमेदवार चुणाव में खडे थे।यह संख्या महाराश्ट के आज तक के चुणाव मे सबसे ज्यादा है। उसमेसे 20 महिला सदस्य निर्वाचित हुये। 1957 के चुणाव के बाद बडी संख्या में 2014 के चुणाव में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। इसके अलावा जो महाराश्ट् विधिमंडल का वरिश्ठ सदन विधानपरिशद है। एसमें कुल संख्या 78 है। यह सदन में महिला सदस्य की संख्या सिर्फ 06 इतनी है। विधानपरिशद सदन की महीला सहभागिता का अनुपात विधानसभा सदन के जैसा ही दिखाइ देता है। महाराश्ट् के विधिमंडळ कि जानकारी लेने के बाद महाराश्ट् के मंत्रिमंडल में महिला मंत्रीयोंके प्रतिनिधित्व सिर्फ 02 इतनाही हैं।

महाराश्ट्र से लोकसभा , राज्यसभा एवं महाराश्ट् विधानमंडल में कुल प्रतिनिधित्व की संख्या 433 है। उसमें महिला प्रतिनिधित्व की संख्या 30 इतनी है। राजनिति में नितीनिर्माण में महिला प्रतिनिधित्व का प्रमाण देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक प्रकिया सुचारु रुपसे चलाने के लिए जितना पुरुशो का प्रतिनिधित्व महत्वपुर्ण है । उतना ही महिलाओं का होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक संसद एवं घटक राज्य के विधायिका में 10 प्रति ात से अधिक अनुपात नही है। इसलिए स्थानिक स्वराज्य संस्था तथा पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं का राजनीतिक सहभाग बढाने के लिए 1993 में संविधान में 73 वा एंव 74 वा संविधान सं ाोधन (ग्रामीण एंव भाहरी स्तर) विधेयक पारित कर के महिलाओं के 33 प्रति ात आरक्षण देकर राजनीति में महिला सबलीकरण कों संवैधानिक दर्जा दिया गया । फिर भी परिणाम सफल न होणे से 2009 में 110 वा संविधान सं ाोधन कर के स्थानिक स्वराज्य संस्था में 50 प्रति ात महिलाओं को आरक्षण नि ि चत किया गया। यही दोनो 33 प्रति ात एवं 50 प्रति ात महिला आरक्षण विधेयक ये महाराश्ट् के स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामीण स्तर ग्रामपंचायत , पंचायत समिती एवं जिला परिशद और भहरी स्तर नगर पालिका एंव महानगरपालिका) में कितनी महिला प्रतिनिधित्व कर सकती है इसे निम्न सारणी द्वारा देखा जा सकता है।

lkj.kh d 4

egkjk'V dh LFkkfud LojkT; laLFkk e efgyk ifrfuf/kRo dh la[;k

अ.क.	स्थानिक स्वराज्य संस्था	संख्या	कुल सदस्य	महिला प्रतिनिधी संख्या	
				33%	50%
1	ग्रामपंचायत	28813	223887	74620	111444
2	पंचायत समिती	355	3922	1307	1961
3	जिला परिशद	34	1961	654	981
4	नगर परिशद	226	5092	1769	2546
5	महानगरपालिका	26	2118	706	1059
	कुल	29454	236980	79056	117991

Source- i) 33 % आरक्षण नुसार - statistics on women in India report page 352& ii) 50 % आरक्षण से दै. लोकसता मराठी 24 एप्रिल 2011 iii) Report on state election commission in Maharashtra 2004-2009

उपरोक्त सारणी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की संख्या 33 प्रति ात आरक्षण एवं 50 प्रति ात आरक्षण के अनुसार है। इसमे कुल एस.सी , एस.टी,ओबीसी एवं अराखीव प्रवर्ग से 50 प्रति ात प्रतिनिधित्व महिलाओं कों आरक्षित है। इसी विधेयक से एक महत्वपूर्ण बात सामने आ गयी कि महाराश्ट् की राजनीति में एवं राजनीतिक निर्णय प्रक्रीया में नि चत रुप से महिला प्रतिनिधित्व का प्रमाण बढने से राजनीति के साथ साथ महिलाओं का भी सबलीकरण हो रहा है। यह बात नि चत रुप से लोकतंत्र को बढावा देणे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी महाराश्ट के कुल 34 जिला परिशदो मे से 17 जि.प. अध्यक्ष , 355 ग्रामपंचायत समिती में से 178 सभापती एवं 28813 सरपंचो में से 14407 सरपंच ,226 नगर पालिका में से 113 नगर पालिका के नगराध्यक्ष , 26 महापालिका में से 13 महापालिका के मेयर के पद 50 प्रति ात आरक्षण से महिलाओं का प्रतिनिधित्व कार्यरत है।

वर्तमान महाराश्ट् की राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व अनुपात से दिखा गया तो स्थानिक स्वराज्य संस्था 33 प्रति ात आरक्षण से 79056 महिला प्रतिनिधी एवं 50 प्रति ात आरक्षण में 117991 महिला प्रतिनिधी , विधान सभा में 20 महिला विधायक एवं लोकसभा सदन में 06 महिला सांसद राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रकिया में सकिय है। जब 33 प्रति ात आरक्षण विधेयक लोकसभा एवं विधानसभा में पारित हुआ तो महिला प्रतिनिधी कि संख्या लोकसभा 543 में से 181 होगी एसमें महाराश्ट! से 48 में से 16 इतनी रहेगी। राज्यसभा 245 में से 81 होगी, महाराश्ट विधानसभा में 288 में से 95 तो विधानपरिशद में 78 में से 26 होगी। 2011 – 12 से महाराश्ट् में स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव 50% महिला आरक्षण के नियम से चालू है।

अतः ऐसा लगता है कि पिछले 2–3 द ाक से महिला मतदाताओं को आकर्शित करने के लिए हमे ाा महिलाओं का सबलीकरण कर के उनको निर्णय प्रकिया में सहभागिता के साथ स्वाधिनता बढाने की घोशणा कि गई। लेकिन वास्तव में पंचायतराज संख्याओं में महिलाओं को 50 प्रति ात आरक्षण देने पर भी राजनीतिक निर्णय निर्माण की प्रकिया महिला प्रतिनिधि के नाम से संबंधित पुरुशों द्वारा ही चलायी जा रही है। पंचायत राज व्यवस्था का अपवाद छोडा तो कुल अबादी के अनुपात में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व नही मिल सका। महिलाऍ समाज का एक महत्वपुर्ण भाग एवं समाज परिवर्तन के मूल अंग होते हुए भी सबलीकरण से अभी भी बहुत दूर है। इसीलिए भारत में राजीव गांधी फाउंडे ान कार्यकम को संबोधित करते हुए अमेरिकन महिला नेता हिलरी क्लिंटन ने कहा कि –“ It is particularly important that women fine their own voice and became participants and decision makers in home the work place community and nation”

इससे समझ मे आता है कि महिलाओं के राजनीतिक सबलीकरण के लिए नि चत महिला आरक्षण की जरुरत राश्ट के लिए कितनी आव यक है। लोकतंत्र एक भाासन प्रकार नही है, तो एक जीवनपध्दती भी है। इसमे सभी की सहभागिता महत्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में लेकर पुरुश प्रधान राजनीतिक संस्कृती ने महिलाओं का राजनीतिक सहभागिता एवं महिला सबलीकरण के लिए सकारात्मक सोच अपनायी गयी तो महिलाओं को राजनितिक निर्णय प्रकियामें सहभाग बढाणा मुि कल नही है।

lnHk

1.Manjiri Chandra – gender Issue “IPSA 52 th conference mereth 2003

2.Statistics on women in India 2010 National institute of public co – operation and child development Delhi

3.statistics report on general election legistative assembly of maharashtra election commission in India.

4.महाराश्ट्रातील स्त्रीयांचा दर्जा महाराश्ट् राज्य महिला आयोग अहवाल 1981 – 1995

5.भारतीय भाासन आणि राजकारण , डॉ. भा.ल.भोळे , विद्या प्रका ान नागपुर

6. भारतीय लोक ाही अपेक्षा आणि वास्तव , डॉ. व्ही.एल.एरंडे निर्मल प्रका ान नांदेड